कार्यालय संचालक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी
(राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट बायपास रोड गांधी नगर के पास, भोपाल–462033
0755–2678815

बी.टेक. प्रथम वर्ष, बी.टेक., लेटरलएंट्री, एम.ई. एवं एम.सी.ए.पाठ्यक्रम हेतु संस्था स्तर की कांउसिलिंग दिनांक 31/12/2020 संस्था स्तर की कांउसिलिंग हेतु रिक्तियों की संख्या (30/12/2020 के दोपहर 05.00 बजे की स्थिति मे)

बी.टेक. प्रथम वर्ष

बी.टेक. प्रथम वर्ष में कोई भी रिक्ति शेष नहीं है ।

बी.टेक. लेटरल एंट्री

बी.टेक. लेटरल एंट्री में कोई भी रिक्ति शेष नहीं है ।

एम.ई. प्रथम वर्ष

क्र.	ब्रांच का नाम	रिक्तियां
1	Computer Science and Engineering	OBC/X/F-01; OBC/X/OP-02, SC/X/F-01; SC/X/OP-02; ST/X/OP-02; EWS-01 **Total-09**
2	Digital Communication	UR/X/F-01; UR/X/OP-04; OBC/X/F-01; OBC/X/OP-02; SC/X/F-01; SC/X/OP-02; ST/X/F-01; ST/X/OP-02; EWS-01 **Total-15**
3	Heat Power	UR/X/F-03; UR/X/OP-03; OBC/X/F-01; SC/X/F-01; SC/X/OP-01; ST/X/F-01; EWS-01 **Total-11**
4	Power System	UR/X/F-03; OBC/X/F-01; OBC/X/OP-01; ST/X/F-01; ST/X/OP-02 **Total-08**

एम.सी.ए. प्रथम वर्ष

एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में कोई भी रिक्ति शेष नहीं है ।

1. **यदि उपरोक्त श्रेणी के अभ्यार्थी उपस्थित नही होते है तो रिक्त सीटों को नियमानुसार अन्य श्रेणी /वर्ग मे परिवर्तित किया जावेगा ।**
2. **उपरोक्त रिक्तियां प्रवेशित छात्रों के प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में बढ सकती है, जिसकी जानकारी वेवसाईट www.dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।**
3. यह काउंसिलिंग संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा इस हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों एवं नियमों के अनुरूप आयोजित की जावेगी। इस हेतु अभ्यार्थियों को वेवसाईट www.dte.mponline.gov.in पर दिये निर्देशानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक–पृथक रूप से एम.पी.ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात दिनांक 31/12/2020 को संस्था स्तर की काउंसिलिंग हेतु इस संस्था (UIT-RGPV) के सिविल/एम.सी.ए. विभाग के द्वितीय तल में प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे के मध्य उपस्थिति दर्ज करवाना होगा।

4. रिक्तियों की जानकारी, ससमय वेवसाईट www.dte.mponline.gov.in एवं www.uitrgpv.ac.in पर उपलब्ध रहेगी।
5. रिक्तियों की संख्या काउंसिलिग के समय पूर्व मे प्रवेशित छात्रों द्वारा प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में बढ भी सकती है एवं ऐसी ब्रांचे जिनमे रिक्तियां नही है मे भी रिक्तियां उत्पन्न हो सकती है। केवल उन्ही अभ्यार्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जावेगा जो कि उपरोक्तानुसार ससमय अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे। तत्पश्चात अगर कोई अन्य सीट रिक्त होती है तो उसे, जैसे ही वह रिक्त होती है, काउंसिलिंग में शामिल कर लिया जावेगा। प्रवेश निरस्तीकरण हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी दिशा–निर्देश प्रभावी रहेंगे।
6. काउंसिलिंग हेतु संस्था के एम.सी.ए./सिविल विभाग के द्वितीय तल में समस्त मूल प्रमाण–पत्र यथाः संस्था स्तर की काउंसिलिंग की पंजीयन की पावती, 10वी एवं 12वी कक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (आईआईटी–जेईई मेन्स बी.टेक पाठ्यक्रम हेतु), डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंकसूची (बी.टेक. लेटरल एंट्री पाठ्यक्रम के लिये), स्नातक स्तर की अंकसूची, (एम.ई./एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु), गेट परीक्षा का स्कोर कार्ड (एम.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु), मूल निवासी प्रमाण पत्र/अभिभावक का घोषणा पत्र, ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की प्रति, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र/ अभिभावक का घोषणा पत्र (यदि लागू हो तो), EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र एवं सभी मूल प्रमाण पत्रों की एक–एक छायाप्रतियां एवं दो फोटोग्राफ एवं स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
7. प्रवेश होने की स्थिति में प्रथम सेमेस्टर की समस्त शुल्क निम्नांकित तालिका अनुसार देय होगी :–

पाठ्यक्रम	श्रेणी	देय शुल्क
बी.टेक./बी.टेक. लेटरल एंट्री	सामान्य/ई.डब्ल्यु.एस./आरक्षित श्रेणी जिन्हें शुल्क में छूट की पात्रता नहीं है।	12,770/–
	आरक्षित श्रेणी जिन्हें शुल्क में छूट की पात्रता है। मुख्यमंत्री मेघावी योजना	500/–
एम.सी.ए.	सामान्य/ई.डब्ल्यु.एस./आरक्षित श्रेणी जिन्हें शुल्क में छूट की पात्रता नहीं है।	13,670/–
	आरक्षित श्रेणी जिन्हें शुल्क में छूट की पात्रता है।	500/–
एम.ई.	सामान्य/ई.डब्ल्यु.एस./आरक्षित श्रेणी जिन्हें शुल्क में छूट की पात्रता नहीं है।	34,035/–
	नॉन गेट आरक्षित श्रेणी जिन्हें शुल्क में छूट की पात्रता है।	500/–

यह शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट के माध्यम से जमा किया जावेगा। अतः अभ्यार्थी के पास ऑनलाईन पेमेन्ट जमा करने की व्यवस्था होना वांछनीय है।

8. उपलब्ध रिक्तियों पर प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा। बगैर मूल प्रमाण पत्रों एवं अभ्यार्थी के बिना काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रवेश निरस्ती के संबंध में जारी किये गये नियमों के अनुसार जमा की गई शुल्क वापसी योग्य होगी ।
10. बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जेईई मेन्स परीक्षा के प्राप्तांको को प्राथमिकता दी जावेगी । यदि उपरोक्त अभ्यार्थी नही मिलते है तो प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के आधार पर दिया जावेगा।
11. एम.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु गेट परीक्षा के प्राप्तांको को प्राथमिकता दी जावेगी । यदि गेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी नहीं मिलते है तो प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के आधार पर दिया जावेगा।